ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-8* November-2020
Anthology : The Research

जैसलमेर में पाकिस्तानी शरणार्थियों का भूराजनीतिक विवेचन

Geopolitical Deliberations of Pakistani Refugees In Jaisalmer

Paper Submission: 12/11/2020, Date of Acceptance: 26/11/2020, Date of Publication: 27/11/2020

कुलदीप वैष्णव
शोधार्थी
भूगोल विभाग,
सोफिया कॉलेज
अजमेर, भारत

मोनिका कानन
विभागाध्यक्ष,
भूगोल विभाग,
सोफिया कॉलेज
अजमेर, भारत

सारांश

यह शोध पत्र पाकिस्तानी शरणार्थियों के अध्ययन, दशा, विश्लेषण से सम्बन्धित है। विभाजन साधारण सा शब्द प्रतीतं होता है पर यह विभाजन जब 2 धर्मों, 2 देशों, 2 सम्प्रदायों में हो तो यह गहरा दंश बन जाता है। विभाजन की इस त्रासदी ने कई मुल्कों को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। एकता एवं अखंडता किसी भी राष्ट्र को सदृढ़ता प्रदान करते है ।

अगस्त 1947 में अखंड भारत का ऐसा ही एक विभाजन (बंटवारा) हुआ जिसने भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का रूप लिया। भारत-पाकिस्तान की इस अंतर्राष्ट्रीय रेडक्लिफ सीमा (Radclffie line) के निकट पलायन भौगोलिक समीपता के कारण होता है। भारत-पाकिस्तान के विभाजन सन् 1947 से पूर्व इनमें से कई शरणार्थियों के पूर्वज इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते थे । अपने पूर्वजों की जन्मभूमि होने के कारण जैसलमेर में आकर ये लोग शरणार्थी, रिफ्यूजी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं ।

विस्थापन, पलायन का क्रम आज तक भी चल रहा है । विभाजन के कारण पलायन करने वालों में असंख्य लोग अपने अस्तित्व की पहचान बनाने के लिए संघर्षरत रहते है और शरणार्थी रिफ्यूजी के रूप में इनकी पहचान बन जाती हैं । पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोगों का पलायन निरन्तर भारत की ओर हो रहा है ।

This research paper is related to the study, condition, analysis of Pakistani refugees. Segmentation seems like a simple word but when this division is in 2 religions, 2 countries, 2 sects, then it becomes a deep sting. This tragedy of Partition has brought many countries to the brink of destruction. Integration and integrity provide harmony to any nation.

In August 1947, one such partition of unbroken India; partition took place which took the form of 2 independent nations such as India and Pakistan. The migration of India and Pakistan to this international Radcliffe border; Prior to the partition of India, Pakistan, the ancestors of many of these refugees lived in these areas before 1947. Due to their ancestral birth place, they come to Jaisalmer and live as refugees, refugees.

The order of displacement, migration is still going on till today. Due to partition, there are innumerable people who are struggling to identify their existence and they are identified as refugee refugees. The migration of minority people from Pakistan is continuing towards India.

मुख्य शब्द : विस्थापन, शरणार्थी, इस्लामिक राष्ट्र, धार्मिक सहिष्णुता, अखंडता, आश्रय स्थान।

Displacement, Refugees, Islamic Country, Religious Tolerance, Integrity, Asylum.

प्रस्तावना

प्रवास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो आदिकाल से चली आ रही है । पाकिस्तान से यह पलायन भारत में विशेषत: पश्चिमी भारत में होता रहा है । प्रत्येक सदी में मानव विभिन्न कारणों से प्रवास करता रहा है । ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो नीति के रूप में भारत में पहले ही विभाजन की आधारशीला रखी जा चुकी थी। 14 अगस्त 1947 में भारत से पृथक् होकर पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। भारत–पाकिस्तान के विभाजन ने दोनों हिन्दू–मुस्लिम सम्प्रदायों में वैमनस्य उत्पन्न कर दिया ।

अलग इस्लामिक राष्ट्र की भावना ने देश में साम्प्रदायिकता का जहर घोल दिया और दोनों राष्ट्रों में हिन्दू–मुसलमानों–सिखों का पलायन शुरू हुआ। पलायन की इस घटना ने इन लोगों को अपनी ही जन्मभूमि पर शरणार्थी बना दिया। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है । जैसलमेर "स्वर्ण नगरी" के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर की हवेलियों की अनुपम शिल्पकला, झरोखें, जैसलमेर का भौतिक स्वरूप, बालुका स्तूपों (Sand Dunes) की प्रधानता ने जैसलमेर को भारत के पर्यटन मानचित्र पर एक विशेष केंद्र बना दिया हैं ।

भारत–पाकिस्तान के बिगड़ते राजनीतिक सम्बन्धों का असर पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर भी होता हैं । भारत–पाकिस्तान के विभाजन 1947 के बाद, वर्ष 1965, 1971 के युद्ध के बाद वृहद् संख्या में पाकिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यक हिन्दू और सिख भारत में आकर बस गये । जो शरणार्थी वर्ष 1971 तक भारत में आकर बसे वे अधिकांशतः नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं किन्तु बाद में आने वाले कई शरणार्थी आज भी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सके हैं। इन पाकिस्तानी शरणार्थियों के पास ना तो वैध दस्तावेज है ना वीजा, पासपोर्ट। ये लोग हिंसा, भय, जबरन धर्मांतरण से बचने के लिए सुरक्षित जीवन की तलाश में अपने पूर्वजों के वतन भारत लौट आते हैं ।

शोध का अध्ययन क्षेत्र

शोध का अध्ययन क्षेत्र राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित जैसलमेर जिला है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है । जैसलमेर का क्षेत्रफल वृहद् होने के कारण जैसलमेर से संलग्न निकटवर्ती जिला मुख्यालय बीकानेर (330 km.), जोधपुर (280 km.) बाड़मेर (156 km.) की दूरी पर स्थित है । क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक विस्तार और कम जनसंख्या, कम जनसंख्या घनत्व एवं प्रतिकूल जलवायु (अधिक तापमान, न्यून वर्षा) न्यून वनस्पति यहाँ की विशेषता है। जैसलमेर 'स्वर्ण नगरी' Golden City के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में इंदिरा गाँधी नहर के आने से इस बंजर भूमि को नया जीवन दान मिला है। इंदिरा गांधी नहर के समीपस्थ खेती, मजदूरी की उम्मीद में कई पाकिस्तानी शरणार्थी यहाँ आकर बस गए। जैसलमेर शहर और जैसलमेर जिले के कई गावों में और ढाणियों में पाकिस्तानी शरणार्थी निवास करते हैं।

जैसलमेर के भील बस्ती वार्ड नंबर 7, ट्रांसपोर्ट नगर, गाँव कीता, नाचना, मोहनगढ़, भील बस्ती, बांकलसर, मण्डाऊ, उंडा, फतेहगढ़ में पाकिस्तानी शरणार्थी बहुत संख्या में निवास करते हैं। जैसलमेर के कई गाँव और ढाणियों में पाकिस्तानी शरणार्थी रहते हैं। काम, रोजगार, आवास की तलाश में इनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता हैं ।

शोध के उद्देश्य

1. पाकिस्तानी शरणार्थियों के जीवन का अध्ययन करना ।
2. पाकिस्तान से भारत की ओर शरणार्थियों का पलायन के कारणों का विश्लेषण करना । पाकिस्तान की उत्पत्ति से निरंतर आज तक भी अल्प संख्यकों का भारत की और पलायन के कारणों का विश्लेषण ।
3. पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तानी शरणार्थियों का अध्ययन करना। पाकिस्तान से ये शरणार्थी जैसलमेर में रहना क्यों पसंद करते हैं ?
4. शरणार्थियों की समस्याओं का विश्लेषण करना। शरणार्थियों को विस्थापन, पलायन के दौरान आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना हैं ।
5. जैसलमेर के सन्दर्भ में पाकिस्तानी शरणार्थियों का क्षेत्रीय अध्ययन। जैसलमेर के उन क्षेत्रों, गावों का अध्ययन जहाँ शरणार्थी निवास करते हैं ।

साहित्य समीक्षा

प्रवास एक क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रवास एक व्यापक अवधारणा है । प्रवास जनसंख्या, राजनीति, भू–राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थव्यस्था, संस्कृति और सभ्यता को भी प्रभावित करता है। प्रवास विषय को केवल एक अलग शीर्षक के अंतर्गत नहीं पढ़ा सकता है। वस्तुत: प्रवास एक वृहद् अवधारणा (Broard Concept) है। भारत में प्रवास एवं प्रवास से सम्बन्धित कई विधाओं, विषयों का अध्ययन हुआ है ।

1- वर्ष 1931 की जनगणना के आधार पर डेविस ने भारत के आंतरिक प्रवास का अध्ययन किया ।
2- ग्रीनवुड ने प्रवास के उत्तरदायी कारकों का अध्ययन विशेषत: आर्थिक करक को उत्प्रेरक मानते हुए किया है ।
3- रॉय ने प्रवास की विभिन्न धाराओं (Streams of Migration) का भारत के संदर्भ में अध्ययन किया ।
4- हिन्दू सिंह सोढा ने Pak Visthapit Sangh में भारत में पाक विस्थापितों के पुर्नस्थापन एवं मानवाधिकारों पर कार्य किया। भारत में पाकिस्तानी शरणार्थियों के जीवन पर वृहद् रूप से प्रकाश डाला है ।
5- हिन्दू सिंह सोढा एवं अशोक सुथार ने "फेंस बियॉन्ड फेंसिंग" में पाकिस्तानी शरणार्थियों के मानवाधिकारों, नागरिकता, नागरिकता कानूनों का वर्णन किया हैं ।
6- कशीर सागर ने भी प्रवास के अध्ययन में आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु भारत में पुरुषों के प्रवास पर विश्लेषण किया है ।
7- किंग्सले डेविस ने बताया की भारत में विवाह के कारण स्त्रियों के प्रवास की मात्रा अति उच्च है जबकि भारतीय लोगों की गतिशीलता कम पायी जाती है ।
8- डॉ. गुर्जर एवं जाट ने मानव भूगोल में स्पष्ट किया कि आठवीं शताब्दी के बाद में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण भारत, जापान, चीन के लोग अन्य देशों में प्रवास करने लगे।
9- दीपक मिश्रा ने इंटरनल माइग्रेशन इन कंटेम्पररी इंडिया में भारत में आंतरिक प्रवास के अध्ययनों का समाविष्ट कर अध्ययन किया। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों में प्रवास के कारण, लैगिंग भिन्नता एवं भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण किया है।
10-शाहीन अख्तर, प्रिया देशींनगकर ने "माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया" में प्रवासन की आर्थिक विकास में भूमिका एवं प्रवासन के आकड़ों को स्पष्ट किया है ।

इस शोध में भारत में जैसलमेर जिले के विषय संदर्भ में पाकिस्तानी शरणार्थियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है। शरणार्थियों के विस्थापन के कारण, दशाओं, उनकी समस्याओं एवं स्थानीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीयिक सम्बन्धों पर शरणार्थियों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है ।

परिकल्पना

1. अधिकांश पाकिस्तान अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख शरणार्थी भारत में शरणार्थी बनते हैं ।
2. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं, सिखों का जीवन सुरक्षित नहीं हैं ।
3. जैसलमेर में पाकिस्तानी शरणार्थियों की महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका हैं ।
4. शरणार्थियों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। जैसलमेर के संदर्भ में भी शरणार्थी बहुत समस्याओं से ग्रसित हैं ।

विधितंत्र

विधितंत्र के अंतर्गत किसी विषय से सम्बन्धित सूचनाओं, आकड़ों का संलग्न किया जाता है । विधितंत्र के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक आकड़ों का संकलन किया गया । शोध क्षेत्र जैसलमेर जिले के विभिन्न गाँवों और ढाणियों में रहने वाले पाकिस्तानी शरणार्थियों से प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची, सर्वेक्षण आदि के माध्यम से प्राथमिक आकड़ें एकत्रित किये ।

प्राथमिक आकड़ों के संकलन से जैसलमेर में पाकिस्तानी शरणार्थियों के निवास स्थान, कुल जनसंख्या, शैक्षिक स्तर, आर्थिक दशा, जनांकिकी प्रारूप सम्बन्धी आकड़ें एवं सूचनाएँ एकत्रित किये गये है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन के माध्यम से जैसलमेर में रहने वाले पाकिस्तानी शरणार्थियों की उपयुक्त एवं सही सूचनाएँ और आकड़ें प्राप्त हुए ।

पाकिस्तानी शरणार्थियों से सम्बन्धित द्वितीयक आकड़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सांख्यिकी विभाग (जयपुर), जैसलमेर जिला सांख्यिकी विभाग, जिला कलेक्टर कार्यालय (जैसलमेर), ग्राम पंचायत मोहनगढ़, नाचना, फतेहगढ़, कीता गाँव से द्वितीयक आकड़ें प्राप्त हुए ।

उपर्युक्त प्राथमिक एवं द्वितीयक आकड़ों को सारणीयन (Tabulation), वर्गीकरण (classification), विश्लेषण (Analysis) करने के पश्चात सांख्यिकी विधियों समान्तर माध्य (Mean) बहुलक (Mode), मध्यिका (Median) का प्रयोग किया है ।

विश्लेषण तथा परिणाम

भारत और पाकिस्तान की सामाजिक–सांस्कृतिक भौगोलिक एकता के कारण पाकिस्तानी शरणार्थी मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, गुजरात में आकर बसते हैं। राजस्थान भारत–पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ राज्य है ।

जैसलमेर में पाकिस्तानी शरणार्थियों के 100 लोगों के प्रतिदर्शों पर शोध अनुसंधान क्रियाविधि आधारित है। पाकिस्तान से अल्पसंख्यक भारत में शरणार्थी बनते है।कारणों का विश्लेष्ण निम्न तालिका के माध्यम से समझ सकते है । पाकिस्तानी शरणार्थियों के पलायन के मुख्य कारण

असुरक्षा	25
मौत का भय	20
जबरन धर्म परिवर्तन	35
भेदभाव, लूटमार	10
अशांति लूटमार	10

स्त्रोतः– क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े

पाकिस्तानी धार्मिक अल्पसंख्यक वहां उनके प्रति भेदभावपूर्ण नीति, भय, अशांति, असुरक्षा, जान–माल के खतरे के कारण पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते है। पाकिस्तान से एक सुखद भविष्य, जीवन की कामना लिए वहां से भारत की और पलायन कर जाते है। पाकिस्तान से हिन्दू, सिख अल्पसंख्यकों के पलायन के मुख्य कारणों का विश्लेषण करे तो ज्ञात होगा कि विस्थापन में धार्मिक अत्याचार, जबरन धर्म परिवर्तन, असुरक्षा, मौत का भय प्रमुख उत्तरदायी कारक है । पाकिस्तान एक इस्लामपरस्त देश होने के कारण केवल इस्लाम को ही सरंक्षण देता है । गैर मुस्लिम धार्मिक हिन्दू और सिख अल्प संख्यकों के प्रति पाकिस्तानी सरकार भी गंभीर नहीं है। पाकिस्तान में इन अल्प संख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न तो पाकिस्तानी सरकार प्रतिबद्ध है और ना कोई और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ।

भारत में इन शरणार्थियों का जीवन तुलनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित है । भारत में सरकार किसी भी धर्म को प्रमुखता प्रदान नहीं करती हैं। भारत में भारत सरकार के अतिरिक्त कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी मानवाधिकारों के प्रति सजग एवं कार्यरत हैं । भारत में सभी धर्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, शांति होने के कारण सुरक्षित जीवन की लालसा लिए ये पाकिस्तानी शरणार्थी भारत में आकर रहना अधिक सुरक्षित मानते हैं ।

भारत में पाकिस्तानी शरणार्थियों की संख्या

वर्ष	पाकिस्तानी शरणार्थियों की संख्या
1965	10,000
1971	90,000
2011	20,000
2018	10,000

स्त्रोत :– पाक विस्थापित संघ रिपोर्ट

पहले शपथ पत्र फिर वोट

पाक विस्थापितों को निशुल्क आवासीय भूखण्ड मिलेंगे

पाक विस्थापित संघ की बैठक आयोजित

सुविधाओं से वंचित है पाक विस्थापित परिवार

rajasthanpatrika.com

राजस्थान

मुफलीसी में जी रहा है पाक विस्थापित डॉक्टर, काम की तलाश में छोड़ा जोधपुर

सरहद पार की डिग्री, यहां नहीं आई किसी काम

खुद एमबीबीएस, बच्चों के लिए नहीं स्कूल

सुझाव

"जैसलमेर में पाकिस्तानी शरणार्थियों का विवेचन" विषय पर शोध कार्य में पाकिस्तानी शरणार्थियों का जैसलमेर के संदर्भ में विशेष अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है ।

पाकिस्तानी शरणार्थियों की दशा, अध्ययन, स्थानीय परिप्रेक्ष्य पर प्रभाव के विश्लेषण के पश्चात सुझाव निम्नलिखित है :–

1. जैसलमेर में पाकिस्तानी शरणार्थियों की स्पष्ट रूप से और सटीक गणना हो ।
2. पाकिस्तानी शरणार्थियों को जो पिछले 20 वर्षों से जैसलमेर में निवास कर रहे है, उन्हें नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए ।
3. प्रवास किसी भी स्थान की जनांकिकी को प्रभावित करता है इसलिए पाकिस्तान से धार्मिक हिन्दू, सिख अल्पसंख्यकों के अनियंत्रित प्रवास पर नियंत्रण आवश्यक है ।
4. शरणार्थियों की समस्या को दोनों देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों की मध्यस्थता से सुलझाना चाहिए।

भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार के साथ वार्ता कर शरणार्थियों की समस्या का समाधान करना चाहिए ।

News Paper:–

1. दैनिक भास्कर ।
2. राजस्थान पत्रिका ।

Websites

1. Jaisalmer-rajsthan-gov-in
2- https://amp-scroll-in/article/946792/Hindu refugees from Pakistan Reports
1- PVS (Pak Visthapit Sangh Report)
2- UJAS (Universal Just Action Society)
3- SLS (Simant Lok Sangthan Report)

निष्कर्ष

इस शोध कार्य से स्पष्ट है कि भारत–पाकिस्तान के विभाजन ने अल्पसंख्यक लोगों को पलायन, विस्थापन के लिए मजबूर कर दिया। सन् 1947 के भारत–पाकिस्तान के विभाजन के बाद से भी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना निरंतर जारी है । पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम हिन्दू, सिख लोगों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय मंच, U.N.O. मानवाधिकार परिषदों को संज्ञान लेना चाहिए। पाकिस्तान से भारत में, राजस्थान में, जैसलमेर में शरणार्थियों का प्रवास निरंतर जारी हैं । शरणार्थियों के विषय में भारत पाकिस्तान दोनों सरकारों को स्पष्ट नीति बनाकर इस समस्या को सुलझाना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून 2020 इस विषय में एक सराहनीय कदम है ।

संदर्भ

1. *हुसैन, अनवर "मानवाधिकार एवं भारत का संविधान" (2015) रितु पब्लिकेशन जयपुर (पेज 175–180)*
2. *सक्सेना, डॉ. हरि मोहन "राजनीतिक भूगोल" (2005) रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ (पेज 315–337)*
3. *गुर्जर, रामकुमार, जाट बी.सी. "मानव भूगोल" (2011) पंचशील प्रकाशन, जयपुर (पेज 282–337) ।*
4. *फड़िया, बी.एल. "अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध" (2003) साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा (पेज 216–249)*
5. *सोढा, हिन्दू सिंह, सुथार अशोक "फेंस बियॉन्ड फेंसिंग डायलेमा ऑफ पाक माइनोरिटी माइग्रेन्ट्स इन इंडिया" (2014) रॉयल पब्लिकेशन, जोधपुर*
6. *सोढा, हिन्दू सिंह (2006) "द नोवेयर पीपल" राज ऑफसेट पब्लिकेशन, जोधपुर ।*
7. *पॉल, जेम्स अंजुम (2001) "कोन्स्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम" ।*
8. *शर्मा, वीरेंद्र प्रकाश "रिसर्च मेथोड़ोलौजी (1999) पंचशील प्रकाशन, जयपुर" ।*
9. *कुमार, डॉ. राजीव (2018)"रिफ्यूजी प्रोटेक्शन इन इंडिया फर्स्ट प्रिंट पब्लिकेशन इलाहाबाद"*